बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य के सभी सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के प्रोत्साहन राशि रू0 100/–के स्थान पर प्रति प्रसव रू0 300/– भुगतान करने की स्वीकृति ।

राज्य के सभी **सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों** में संस्थागत प्रसव के बाद माता एवं नवजात शिशु की देख–भाल के लिए मानदेय के आधार पर "ममता" की सेवा ली जाती है । ममता प्रसव हेतु आयी महिलाओं को उपरोक्त संस्थानों में आने से लेकर उनके प्रसव के बाद वापस जाने तक एक सहयोगी के रूप में उनके साथ रहती है। "ममता" का मुख्य कार्य नवजात शिशु का वजन, एक घंटे के अन्दर स्तनपान, प्रसूति की साफ – सफाई, नवजात शिशु के रोगों के लक्षण की पहचान एवं संबंधित चिकित्सक/नर्स को बताना, टीकाकरण, हाइपरथर्मिया, कम वजन के शिशुओं की देख भाल, कंगारू केयर एवं परिवार नियोजन के बारे में समुचित सलाह आदि प्रदान करना है।

2. विभागीय संकल्प–सह–ज्ञापांक 497(12) दिनांक 20.08.09 के आलोक में "ममता" कार्यकर्ता जो एक स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता है जिन्हें 100/–रूपये प्रति प्रसव की दर से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से वहन किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई एवं "ममता" कार्यकर्त्ता की कार्य अवधि जो लगभग एक पूर्ण दिन होती है एवं कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के प्रोत्साहन राशि रू0 100/–के स्थान पर प्रति प्रसव रू0 300/– भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सदर,अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ममता कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रसवों की कुल अनुमानित संख्या 16,32,550 के आधार पर लगभग कुल 48,97,65,000/– (अड़तालीस करोड़ संतानवे लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र का बजटीय प्रावधान (विशेष अदायगी मद से) किया जायेगा ।

4. उक्त राशि का वहन मांग संख्या–20 मुख्यशीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी–110 अस्पताल तथा औषधालय–0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल विपत्र कोड–एन0–2210011100013 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–28 01–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की 500 (पांच सौ) प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित की जाय तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/5/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/प0–क0–09–04/2016 – 457(12) पटना, दिनांक 26/5/2016

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

24/5/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

457(12)

ज्ञापांक–12/प0–क0–09–04/2016/ पटना, दिनांक 26/5/2016

प्रतिलिपिः–I महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

II. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

457(12)

ज्ञापांक–12/प0–क0–09–04/2016/ पटना, दिनांक 26/5/2016

प्रतिलिपिः–मुख्य मंत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त, के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/5/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

457(12)

ज्ञापांक–12/प0–क0–09–04/2016 / पटना, दिनांक 26/5/2016

प्रतिलिपिः–I. मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

II. सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

III. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

457(12)

ज्ञापांक–12/प0–क0–09–04/2016 / पटना, दिनांक 26/5/2016

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/16

सरकार के संयुक्त सचिव।